

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध— 01—233/2026—

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० अकिता, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगुसराय को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या—1133(17), दिनांक—29.11.2022 की कंडिका—07 के शर्ताधीन दिनांक—01.09.2026 के प्रभाव से प्रथम संतान हेतु मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी—सह—
संयुक्त सचिव।

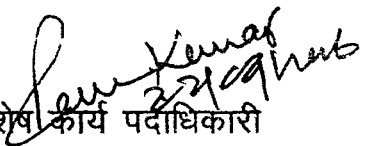
आपांक :-17/विविध— 01—233/2026— 1252(17)पटना, दिनांक :- 24/09/2026

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं इ०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सिविल सर्जन, बेगुसराय/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डॉ० अंकिता, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—
संयुक्त सचिव।